

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004272012

दांडिक प्रकरण क.-218/12

संस्थापित दिनांक-26.06.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-दिलीप पुत्र रामकिशन कुशवाह उम्र 22 वर्ष निवासी फतेहाबाद। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री परमार अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 25.03.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 454, 380 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

वीरेंद्र रावत ने दिनांक 17.10.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह दिन चार बजे बाजार चंदेरी चला गया था। मंदिर का ताला लगा था। जब वह वापस शाम 6 बजे लौटा तो देखा कि मंदिर का ताला खुला है। ताले की दो चाबी थी एक उसके पास एवं एक मनोहर लिटोरिया के पास। तभी मनोहर लिटोरिया आ गए तो उन दोनों ने ताला खुला देखा। मंदिर के अंदर जाकर देखा तो मंदिर के अंदर एक पीतल की रामदरबार की मूर्ति, एक भैरो बाबा की छोटी पीतल की मूर्ति, एक चांदी का मुकुट करीबन वजनी 100 ग्राम, दानपेटी जिसमें करीबन सौ-डेढ़ सौ रुपये कुल मसलन करीबन 2500 रुपये का सामान कोई अज्ञात व्यक्ति मंदिर का ताला तोड़कर चुरा ले गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 417/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 454, 380 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 454, 380 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.10.11 को समय दिन 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच स्थान मंदिर श्री श्री 1008 श्री सकलकुडी धाम मंदिर चंदेरी में चोरी करने के आशय से छिपकर प्रवेश किया और उसमें भैरों बाबा की पीतल की मूर्ति, चांदी का मुकुट, दानपेटी तथा नगद राशि ले जाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मनोहर लाल, अ.सा. 02 नौशाद खां, अ.सा. 03 ज्योतिप्रकाश, अ.सा. 04 राकेश सिंह, अ.सा. 05 प्रवीण कुमार साहू, अ.सा. 06 विवेककांत भार्गव, अ.सा. 07 नंदकिशोर पंचोली, अ.सा. 08 एस एस गौर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 मनोहर लाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है तथा फरियादी को भी जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार वह सकलकुडी मंदिर में पूजा करने जाता था तथा फरियादी वीरेंद्र रावत वहां के महंत थे। उक्त साक्षी के अनुसार मंदिर से मूर्तियां चोरी गई थीं तथा चोरी गई मूर्ति में पीतल की रामदरबार की, एक भैरो बाबा की, अन्नपूर्णा माता का मुकुट चांदी का चोरी गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार धर्मपेटी के नाम से एक पेटी मंदिर में थी जिसमें रुपये—दो रुपये की चिल्लर डली हुई थी वह सब सामग्री मंदिर में नहीं थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे यह जानकारी नहीं है कि कौन व्यक्ति उक्त सामग्री चोरी करके ले गया था। अ.सा. 01 के अनुसार पुलिस वालों ने मुकुट को पहचानने के संबंध में उसे बुलाया था और उससे पहचान करवाई थी। अ.सा. 01 के अनुसार प्रपी 01 के शिनाख्तगी पंचनामे के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अ.सा. 01 के अनुसार पहचान की कार्यवाही के समय अन्य लोग भी उपस्थित थे। उक्त साक्षी के अनुसार घटना वाले दिन उसे किसी ने नहीं बताया कि आरोपी उपर मंदिर में गया था। अ.सा. 02 नौशाद खां ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार मेमो प्रपी 03, जप्ती पत्रक प्रपी 04, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा पूछताछ के दौरान आरोपी से मोबाइल की चोरी निकली थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने एक चांदी के मुकुट की चोरी बताई थी जो सकलकुडी मंदिर की थी।

08— अ.सा. 03 ज्योतिप्रकाश ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार सकलकुडी मंदिर पर दीपावली के दिन चोरी हो गई

थी। उक्त साक्षी ने पहचान पंचनामा प्रपी 01 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने मुकुट की पहचान की थी। अ.सा. 05 प्रवीण कुमार ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी ने प्रपी 03 लगायत प्रपी 05 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही हुई थी।

09— अ.सा. 06 विवेककांत भार्गव ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा मंदिर से चोरी गए सामान की पहचान की कार्यवाही कराई गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पहचान कार्यवाही उसने नगर पालिका चंदेरी में कराई थी तथा उसने शिनाख्तगी पंचनामा प्रपी 03 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 04 नरेंद्र सिंह द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि दिनांक 17.10.11 को फरियादी की रिपोर्ट पर से उसने प्रपी 06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 08 एस एस गौर ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 07 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने फरियादी के कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे।

10— अ.सा. 07 नंदकिशोर पंचोली ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 12.06.12 को थाना चंदेरी में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को आरोपी द्वारा पूछताछ के दौरान सकलकुडी मंदिर में मूर्ति और मुकुट की चोरी करना स्वीकार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने बताया था कि उसने मुकुट घर में एक पेटी में छुपाकर रखा है जिसके संबंध में धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमो प्रपी 03 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिसके सी से सी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी द्वारा मुकुट निकालकर दिए जाने पर प्रपी 04 के अनुसार आरोपी से जप्ती की कार्यवाही की गई थी

जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को प्रपी 05 के अनुसार गिरफ्तार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार जिस पेटी से उसने जप्ती होना बताया है वह टीन की पेटी है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने जिन व्यक्तियों के समक्ष जप्ती की है उनको वह अपने साथ ले गया था।

11— अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को उक्त घटनास्थल से चोरी हुई थी। अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किंतु अ.सा. 02 जो कि जप्ती का साक्षी है ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके समक्ष आरोपी से जप्ती की कार्यवाही हुई थी। अ.सा. 02 की साक्ष्य से जप्ती पंचनामा प्रपी 04 एवं मेमो प्रपी 03 प्रमाणित हो रहा है। उक्त साक्षी की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 03 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा. 03 ने शिनाख्तगी पंचनामा प्रपी 03 को प्रमाणित किया है। अ.सा. 06 ने भी शिनाख्तगी पंचनामा प्रपी 01 की कार्यवाही को प्रमाणित किया है। अ.सा. 07 जो कि मामले का विवेचक है की साक्ष्य भी अखंडित रही है। उक्त साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता हो। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी के पास से ही चोरी गई संपत्ति जप्त हुई थी। जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि आरोपी द्वारा ही चोरी कारित की गई।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 380 एवं 454 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13. आरोपी पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

14. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री परमार का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी चोरी कारित की जाती है तो वह न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि उस व्यक्ति को उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी द्वारा मंदिर जैसे पवित्र, धार्मिक स्थल की चोरी कारित की गई है जो अपने आप में अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भादवि की धारा 380 के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के

अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भादवि की धारा 454 के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। दोनों दंडादेश आरोपी को एक साथ भुगताए जाएंगे।

16. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा चांदी के मुकुट के तीन टुकड़े मुताबिक जप्ती पत्रक के अनुसार सकलकुडी मंदिर को वापस को जावे।

18. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे। आरोपी द्वारा पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत किया गया समय उक्त दंडादेश से समायोजित किया जावे।

19. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)